BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 10 अप्रैल 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम-2020 का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 02 वर्ष 05 माह का कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित पुत्र स्व0 मिश्रीलाल निवासी शिकारपुर बाईपास थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में लोगों को लालच देकर अपने आवास पर भीड़ एकत्रित करने संबंधित नोटिस को फेसबुक पर गलत तरीके से प्रस्तुत करना तथा तथ्यों को छुपाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.05.2020 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 745/2020 धारा 188 भादवि व 21 उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 04.07.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 10.04.2024 को मा0 न्यायालय एमपी/एमएलए/एसीजेएम अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को 02 वर्ष 05 माह का कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री हितेन्द्र सिंह वर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर